न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
459/2018	दावा 88, 91, 92ए RTA	31.08.2018	14.03.2019

सुनील पुत्र स्व. पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. विमला पत्नी स्व. पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी खण्डवा पट्टा चूरू हाल बिमला पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासिनी 7 चक, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. अणची पत्नी स्व. बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी वादी
2. अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादिनी सं. 1 वादी की जन्मदात्री मां है जो वादी के पिता पन्नालाल के स्वर्गवास के बाद ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति के साथ विवाह कर वादी का घर, जमीन, जायदाद छोड़कर चली गई है, प्रतिवादिनी सं. 2 वादी की दादी है। यह कि कृषि भूमि ख.नं. 492 तादादी 7.8403 हैक्टेयर रोही मौजा खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू वादी के दादा स्व. बीरबलराम की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही। बीरबलराम के स्वर्गवास के बाद इसके जायज वारिसान प्रतिवादिनी सं. 2 बेवा अणची व पुत्र पन्नालाल के नाम से जो वादी का पिता था ब हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। वादी के पिता पन्नालाल के स्वर्गवास के बाद 1/2 हिस्सा भूमि वादी की दादी प्रतिवादिनी सं. 2 अणची के नाम व 1/4 हिस्सा वादी के नाम से व 1/4 हिस्सा वादी की मां प्रतिवादिनी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। यही वादगत कृषि भूमि है। यह कि वादी के दादा बीरबलराम के स्वर्गवास के बाद जब वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड तैयार किया गया तब वादगत कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि बीरबलराम की बेवा प्रतिवादिनी सं. 2 के नाम अंकित कर दी गई व 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता जिनका सही नाम पन्नालाल था, पन्नालाल के स्थान पर पन्नाराम अंकित कर दिया गया जो बदस्तूर आज भी राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है, जो दुरूस्ती के काबिल है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

के पिता पन्नालाल का जब स्वर्गवास हुआ तब 12 दिन के तुरन्त बाद वादी की जन्मदात्री मां प्रतिवादिनी सं. 1 वादी को, वादी के घर को, वादी की जमीन जायदाद को छोड़कर ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति के साथ पुनर्विवाह कर चली गई। ऐसी सूरत में वादी की पुश्तैनी सम्पत्ति वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादिनी सं. 1 का कानूनन कोई हक हिस्सा नहीं रहा। इस प्रकार स्व. पन्नालाल के नाम के 1/2 हक हिस्सा सम्पूर्ण वादी का कानूनन हक रहा मगर राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने पन्नालाल के नाम की 1/2 हिस्सा की भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादिनी सं. 1 के नाम से व 1/4 हिस्सा भूमि वादी का नाम गलत अंकित करते हुए अनिल पुत्र पन्नालाल के नाम से गलत अंकित कर दी गई, जो दुरूस्ती के काबिल है।

यह कि वादी का सही व असली नाम सुनील है व सुनील के नाम से ही जन्म प्रमाण पत्र, टी.सी. फार्म, मार्कशीट, आधार कार्ड आदि बने हुए हैं। अनिल नाम का पन्नालाल के न तो कोई पुत्र पैदा हुआ था व न ही है। वादी के पिता का सही व असली नाम पन्नालाल था व पन्नालाल के नाम से ही वोह जाने पहचाने जाते थे। यह कि वादगत कृषि भूमि के वर्तमान में चल रहे राजस्व रिकार्ड की बाबत पहले वादी को कोई जानकारी नहीं थी। पिछले दिनों वादी के. सी.सी. बनवाने के लिए जब हल्का पटवारी के पास वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकलें लाने के लिए गया तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में तुम्हारा नाम सुनील के बजाय अनिल अंकित है, तुम्हारे पिता का नाम पन्नालाल के स्थान पर पन्नाराम अंकित है तथा तुम्हारी मां के नाम से 1/4 हिस्सा भूमि रिकार्ड में दर्ज है। तब वादी को वादगत कृषि भूमि के गलत बने राजस्व रिकार्ड की बाबत सर्वप्रथम जानकारी हुई। वादगत कृषि भूमि के गलत बने राजस्व रिकार्ड से वादी को कई प्रकार के नुकसान व परेशानियां हो रही हैं, इसलिए वादी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा कर वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना गलत नाम अनिल के स्थान पर सुनील अंकित करवाये, 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा अंकित करवाये, प्रतिवादिनी सं. 1 का गलत अंकित नाम राजस्व रिकार्ड से हटवाये तथा अपने पिता का नाम पन्नाराम के स्थान पर पन्नालाल अंकित करवाये, इस हेतु यह वाद वादी पेश किया जा रहा है।

यह कि वादी ने प्रतिवादिनी सं. 1 से कई बार कहा कि वोह वादी को छोड़कर, वादी का घर, वादी की जमीन जायदाद छोड़ कर ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लिया है व वादगत कृषि भूमि में उसका हक हिस्सा स्वतः ही समाप्त हो चुका है, इसलिए आप वादी के साथ चलकर वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से गलत रूप से अंकित अपना नाम हटवाये तथा इसी तरह प्रतिवादी सं. 3 से मिलकर उनसे भी निवेदन किया गया कि वोह वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत अंकित नाम अनिल की बजाय सुनील अंकित करें, वादी के पिता का नाम पन्नाराम के स्थान पर पन्नालाल राजस्व रिकार्ड मं अंकित करें तथा प्रतिवादिनी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा कर उसके नाम की 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम अंकित करें। इस पर पहले तो प्रतिवादीगण हां हूं करते रहे आखिर में दिनांक 21.08.2018 को ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार होने से इस दावा के प्रति वादी को आधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

21.08.2018 को की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से इस दावा के प्रति वादी को कारण प्राप्त है। यह कि वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 3 के पावर व पजेशन में है। दावा वादी डिग्री होने की सूरत में मुताबिक डिक्री के कार्यवाही प्रतिवादी सं. 3 के मार्फत होनी है इसलिए प्रतिवादी सं. 3 को पक्षकार वाद बनाया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्रतिवादी सं. 3 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए बिना दावा वादी पेश किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए इस दाावा के प्रति श्रीमान् जी हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। दावा वादी उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद के पेश है। अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) घोषणा इस आशय की की जावे कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 492 तादादी 7.8408 हैक्टेयर रोही मौजा खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू जिला चूरू का वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार है।

(ख) कृषि भूमि ख.नं. 492 तादादी 7.8408 हैक्टेयर रोही मौजा खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम अनिल पुत्र पन्नाराम 1/4 हिस्सा के स्थान पर वादी सुनील पुत्र पन्नालाल के नाम 1/2 हिस्सा अंकित किया जावे, प्रतिवादिनी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाया जाकर उसके नाम का 1/4 हिस्सा वादी के नाम अंकित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अनिल के स्थान पर सुनील व पुत्र पन्नाराम के स्थान पर सुनील पुत्र पन्नालाल अंकित किया जावे। इस आशय का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे, वोह भी प्रदान किए जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुई एवं उनकी ओर से श्री महावीरप्रसाद वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादिनी सं. 1 ने अपने इकबालदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 से 4 सही लिखी होने से स्वीकार है। वादी मुझ प्रतिवादिनी का जायन्दा पुत्र है जिसका नाम सुनील है, उसके सारे कागजात सुनील के नाम से बने हुए हैं। अनिल नाम का मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड में अनिल नाम गलत अंकित कर दिया है मेरे पूर्व स्वर्गवासी पति का सही व असली नाम पन्नालाल था पन्नालाल के नाम से ही वोह जाने पहचाने व पुकारे जाते थे। राजस्व रिकार्ड में उनका नाम पन्नाराम गलत अंकित कर दिया है। यह कि दावा की मद सं. 5 में वर्णित यह कथन कि प्रतिवादिनी सं. 1 का गलत अंकित नाम राजस्व रिकार्ड से हटवाए, प्रतिवादिनी से सम्बन्धित है। मुझ प्रतिवादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने में मुझ प्रतिवादिनी को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। इस मद के शेष कथन प्रतिवादिनी सं. 1 से सम्बन्धित नहीं होने के कारण से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि दावा की मद सं. 6 जिस प्रकार से लिखी गई है उस प्रकार से स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है। वादी के द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 को वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से उसका नाम हटवाने के कहा जरूर था मगर समय अभाव के कारण प्रतिवादिनी सं. 1 वादी के साथ जा नहीं सकी। प्रतिवादिनी द्वारा वादी को नाम न हटवाने से कभी भी इन्कार नहीं किया। प्रतिवादिनी पहले भी वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से अपना नाम हटवाने को तैयार थी, आज भी तैयार है। प्रतिवादिनी सं. 1 का वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से नाम हटाये जाने से प्रतिवादिनी को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। प्रतिवादिनी सं. 1 अपने पूर्व पति पन्नालाल के स्वर्गवास के तुरन्त बाद वादी का घर, वादी की जमीन जायदाद, स्वर्गीय पन्नालाल का घर जमीन जायदाद छोड़कर ओमप्रकाश हनुमानगढ के साथ पुनः विवाह कर स्थाई रूप से उसके साथ चली गई है व वहीं रह रही है। यह कि दावा की मद सं. 7 व 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादी मय अनुतोष क, ख, घ के स्वीकार किये जाने में मुझ प्रतिवादिनी सं. 1 को आपत्ति एतराज नहीं है।

प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पेश जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 से 4 स्वीकार है। वादी सुनील मेरा पौत्र है अनिल नाम का मेरे कोई पौत्र पैदा नहीं हुआ है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अनिल नाम गलत अंकित कर दिया गया है मेरे एकमात्र पुत्र जिसका सही व असली नाम पन्नालाल था पन्नालाल के नाम से ही गांव जाति समाज बिरादरी में जाना पहचाना जाता था। राजस्व रिकार्ड में पन्नालाल के स्थान पर पन्नाराम नाम गलत अंकित कर दिया गया है। यह कि दावा की मद सं. 5 व 6 स्वीकार है। यह कि दावा की मद सं. 7 व 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा वादी मय अनुतोष क, ख, घ के स्वीकार किये जाने में मुझ प्रतिवादिनी को आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 ने विशेष कथन में अंकित किया कि मेरे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका सही व असली नाम पन्नालाल था, पन्नालाल के नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जाता था। पन्नालाल के सुनील नाम का एकमात्र पुत्र पैदा हुआ है जो इस दावे का वादी है। पन्नालाल की की पत्नी का नाम विमला रहा है। पन्नालाल का स्वर्गवास हो चुका है। पन्नालाल के स्वर्गवास के तुरन्त बाद उसकी पत्नी विमला प्रतिवादिनी सं. 1 पन्नालाल का घर जमीन जायदाद छोड़कर ओमप्रकाश निवासी 7 चक रावतसर तह. रावतसर जिला हनुमानगढ के साथ पुनः विवाह कर स्थाई रूप से चली गई है जिसका वादगत भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादिनी सं. 1 का नाम हटाया जाना आवश्यक हैं। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अनिल के स्थान पर सुनील व पन्नाराम के स्थान पर पन्नालाल अंकित करना आवश्यक है। अतः इकबाली जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने में मुझ प्रतिवादिनी सं. 2 को आपत्ति एतराज नहीं है।

दावा में इकबालदावा पेश होने से तनकियात् कायम नहीं की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर बयान लेखबद्ध किये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में रखी गई। साक्ष्य प्रतिवादी विमला व अणची ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। वकील वादी द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपना इकबालदावा पेश कर चुके हैं। प्रतिवादीगण को वादी के दावा पर कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद ओमप्रकाश से पुनर्विवाह करने एवं उसके साथ स्थाई रूप से हनुमानगढ निवास करने के कारण वादगत कृषि भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। इसलिए वादगत कृषि भूमि में स्थित उसके 1/4 हिस्सा से नाम हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज किया जावे। वादगत कृषि भूमि में वादी व उसके पिता के गलत अंकित नामों अनिल पुत्र पन्नाराम को वादी के सही व दस्तावेजी नाम सुनील पुत्र पन्नालाल अंकित किया जावे। हमने अपने दावा में अंकित तथ्यों व पेश दस्तावेजों को साक्ष्यवादी से प्रमाणित कराया है। साक्ष्य प्रतिवादीगण के बयानों से भी दावा वादी प्रमाणित होता है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि हम अपना इकबालदावा पेश कर चुके हैं। दावा वादी स्वीकार किये जाने में हमें कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि के 1/4 हिस्सा में वादी का नाम अनिल व वादी के पिता का नाम पन्नाराम अंकित है जबकि वादी व उसके पिता का सही एवं दस्तावेजी नाम सुनील पुत्र पन्नालाल है एवं वादगत कृषि भूमि के 1/4 हिस्सा में उसकी माता बिमला व पति का नाम पन्नाराम अंकित है जबकि वादी की माता बिमला वादी के पिता की मृत्यु के तुरन्त बाद ओमप्रकाश से पुनर्विवाह कर ओमप्रकाश के साथ उसकी पत्नी के रूप में वादी का घर व जमीन जायदाद छोड़कर जा चुकी है एवं ओमप्रकाश के साथ ही रहती है। इसलिए वादी ने अपना व पिता का नाम अनिल पुत्र पन्नाराम के स्थान पर सुनील पुत्र पन्नालाल दर्ज करवाने एवं वादगत कृषि भूमि के 1/4 हिस्सा से अपनी माता बिमला का नाम हटाया जाकर उक्त 1/4 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने हेतु यह दावा पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि के समस्त दर्ज खातेदारों को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में अपना इकबाल दावा पेश कर वादी के दावा में चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने इकबालदावा में वादी के पिता का सही व असली नाम पन्नाराम की बजाय पन्नालाल होना अंकित किया है तथा पन्नालाल के केवल मात्र एक पुत्र सुनील ही पैदा होना बताया है। पन्नालाल के सुनील के अलावा अनिल नाम का कोई और पुत्र पैदा नहीं होना बताया है। प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य प्रतिवादी के बयानों में भी वादी के दावा में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार किया है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 अपने जवाब व साक्ष्य में वादी के दावा में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए ओमप्रकाश से पुनर्विवाह करके उसके साथ पत्नी के रूप में निवास करना अंकित किया है तथा वादगत कृषि भूमि से अपना नाम हटाये जाने में प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। उक्त तथ्य प्रतिवादी सं. 1 ने अपने साक्ष्य बयानों में भी स्वीकार किया है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू के ख.नं. 492 तादादी 7.8408 हैक्टेयर में वर्तमान में अणची पत्नी बीरबलराम 1/2 हिस्सा, अनिल पुत्र पन्नाराम 1/4 हिस्सा, बिमला पत्नी पन्नाराम 1/4 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी खण्डवा पट्टा चूरू खातेदार अंकित हैं। वादी द्वारा पेश प्रदर्श–2ए आधार कार्ड सं. 718298145666 में वादी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सुनील पुत्र पन्नालाल अंकित है। प्रदर्श–3ए टी.सी. फॉर्म में वादी व उसके पिता का नाम सुनीलकुमार पुत्र पन्नालाल अंकित है। प्रदर्श–4ए जन्म प्रमाण पत्र सं. 516 दिनांक 05.10.2006 में वादी का नाम सुनील पुत्र पन्नालाल अंकित है। प्रदर्श–5ए मतदाता पहचान पत्र सं. RJ/03/020/009023 जो वादी के पिता पन्नालाल के नाम से बना हुआ है जिसमें वादी के पिता का नाम पन्नालाल पुत्र बीरबल अंकित है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि के 1/4 हिस्सा में वादी व उसके पिता का नाम सुनील पुत्र पन्नालाल के स्थान पर भूलवश अनिल पुत्र पन्नाराम अंकित चला आ रहा है जबकि वादी व उसके पिता का सही व दस्तावेजी नाम सुनील पुत्र पन्नालाल है। वादी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजों एवं साक्ष्य से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। इसलिए वादी एवं उसके पिता का नाम दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादगत कृषि भूमि के 1/4 हिस्सा में अंकित प्रतिवादिनी सं. 1 बिमला अपने पति पन्नालाल के स्वर्गवास के तुरन्त बाद ओमप्रकाश निवासी 7 चक रावतसर तह. रावतसर जिला हनुमानगढ के साथ पुनर्विवाह करके वादी का घर, जमीन, जायदाद छोड़कर जा चुकी है जिसकी पुष्टि उसके जवाबदावा एवं साक्ष्य शपथपत्र में अंकित तथ्यों से होती है। वादगत कृषि भूमि के 1/4 हिस्सा से प्रतिवादिनी सं. 1 का नाम हटाया जाकर उक्त 1/4 हिस्सा वादी के नाम अंकित किये जाने में प्रतिवादिनी सं. 1 को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। वैसे भी प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा ओमप्रकाश से पुनर्विवाह कर लेने से उसको अपने हक अधिकार अब ओमप्रकाश की सम्पत्ति में प्राप्त होने हैं, इसलिए वादगत कृषि के 1/4 हिस्सा में से उसका नाम हटाया जाकर स्व. पन्नालाल के एकमात्र वारिस वादी के नाम अंकित किया जाने योग्य है। इस प्रकार वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 तादादी 7.8408 हैक्टेयर रोही मौजा खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू जिला चूरू 1/4 हिस्सा में अंकित अनिल पुत्र पन्नाराम के स्थान पर सुनील पुत्र पन्नालाल अंकित करने एवं 1/4 हिस्सा में अंकित बिमला पत्नी पन्नाराम का नाम हटाया जाकर उक्त 1/4 हिस्सा वादी के नाम अंकित करने का आदेश दिया जाता है एवं वादी सुनील पुत्र पन्नालाल को उक्त वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

सुनील पुत्र स्व. पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. विमला पत्नी स्व. पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी खण्डवा पट्टा चूरू हाल बिमला पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासिनी 7 चक, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. अणची पत्नी स्व. बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 459/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र डूडी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व श्री महावीरप्रसाद वर्मा एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 तादादी 7.8408 हैक्टेयर रोही मौजा खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू जिला चूरू 1/4 हिस्सा में अंकित अनिल पुत्र पन्नाराम के स्थान पर सुनील पुत्र पन्नालाल अंकित करने एवं 1/4 हिस्सा में अंकित बिमला पत्नी पन्नाराम का नाम हटाया जाकर उक्त 1/4 हिस्सा वादी के नाम अंकित करने का आदेश दिया जाता है एवं वादी सुनील पुत्र पन्नालाल को उक्त वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14 माह मार्च सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)

उपखण्ड अधिकारी, चूरू